

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या-158/2019

पैरोकर सरकार

1. सरपंच ग्राम पंचायत केलाकाबास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार जमवारामगढ़, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 संपठित भू. अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार

-: निर्णय :-

दिनांक: 27/12/2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार जमवारामगढ़ ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज-6 पार्ट दिनांक 10 अगस्त, 2016 की पालना में इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चिलपली तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 139/2 रकबा भूमि जिसकी खातेदारी सिवायचक है जिसमें 228 मीटर लम्बाई एवं 7 मीटर चौड़ाई, रास्ते का क्षेत्रफल 0.15 है0 है, खसरा नम्बर 145 रकबा भूमि जिसकी खातेदारी सिवायचक है जिसमें 160 मीटर लम्बाई एवं 6 मीटर चौड़ाई, रास्ते का क्षेत्रफल 0.10 है0 है।

चूंकि मौके पर चालू सार्वजनिक रास्ता आवागमन के काम आ रही है तथा भूमि का स्वरूप भी परिवर्तन हो चुका है जिसके फलस्वरूप इस रास्ता का रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक जिससे की राजस्व रिकार्ड की मौका एवं नक्शा की स्थिति अद्यतन रह सकें।

हमने पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार जमवारामगढ़ एवं जमाबन्दी तथा संलग्न नक्शों का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त रास्ता का रिकार्ड में अमल किया जाना हमारी राय में आवश्यक है। अतः राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 131,132 संपठित भू. अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार राजस्थान सरकार की खातेदारी में तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शों के अनुसार भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं रास्ते की भूमि खातेदारों के नाम नये खसरा नम्बर डाल कर अंकित किये जावे।

तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तदानुसार रिकार्ड में अमल कर पालना से अवगत करावें। निर्णय आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़

